रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1814] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 19, 2016/आषाढ़ 28, 1938
No. 1814] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 19, 2016/ASADHA 28, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2016

का.आ. 2463(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) (जिसे यहां इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 381 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 594 के अधीन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 59 तारीख 06.01.1959, जहां तक यह किसी विदेशी कंपनी से संबंधित है, जो कि एक एयरलाइंस कंपनी है, का अधिक्रमण करते हुए यह निदेश करती है कि धारा 381 की उपधारा (1) के खंड (क) की अपेक्षा निम्नलिखित अपवादों और उपांतरणों के अधीन शेयरपूंजी वाली किसी विदेशी कंपनी पर लागू होगी, जो कि एक एयरलाइंस कंपनी है (जिसे यहां इसके पश्चात् "कंपनी" कहा गया है), अर्थात्:-

1. अधिनियम की धारा 381 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपबंधों का पर्याप्त अनुपालन समझा जाएगा, यदि कंपनी ने 31 मार्च, 2016, को या उसके पश्चात् समाप्त होने वाली अवधि के बाबत भारत में समुचित कंपनी रजिस्ट्रार के पास निम्नलिखित प्रस्तुत किया है –

(i) मूल विदेशी कंपनी द्वारा उसके निगमन के देश में उस समय तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अधीन उस देश के विहित प्राधिकारी को यथा प्रस्तुत अद्यतन समेकित वित्तीय विवरण की प्रतियों से संबंधित दस्तावेज:

परंतु जहां ऐसे दस्तावेज अंग्रेजी भाषा में नहीं है वहां उसका अंग्रेजी भाषा में प्रमाणित अनुवाद संलग्न किया जाएगा।

(ii) इसके भारतीय कारबार प्रचालनों के बाबत वित्तीय वर्ष के लिए भारत में व्यवसायरत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा किसी फर्म अथवा भारत में पेशारत चार्टर्ड अकाउंटेंटों के किसी सीमित देयता भागीदारी द्वारा विहित रूप से अधिप्रमाणित प्राप्तियों और भुगतानों का एक कथन।

(iii) कंपनी (विदेशी कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2014 के नियम 4 के उपनियम (2) के अधीन कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाने हेतु अपेक्षित दस्तावेज।

2. उपर्युक्त पैरों में अंतर्विष्ट किसी बात के रहते हुए भी, कंपनी, यदि केंद्रीय सरकार से लिखित में नोटिस द्वारा ऐसा अपेक्षित है तो, केंद्रीय सरकार को अपने लेखे के संबंध में ऐसी सूचना उपलब्ध कराएगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित की गई हो।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 1/23/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2016

S.O. 2463(E).—In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 381 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) (hereinafter referred to as "the Act") and in supersession of the notification number G.S.R 59, dated 06.01.1959 issued under sub-section (1) of section 594 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), in so far as it relates to the foreign company which is an airlines company, the Central Government hereby directs that the requirement of clause (a) of sub-section (1) of section 381 of the Act shall apply to a foreign company which is an airlines company (hereinafter referred to as "the company") having a share capital, subject to the following exceptions and modifications, namely:-

1. It shall be deemed sufficient compliance of the provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 381 of the Act, if in respect of the period ending on or after the 31st March, 2016, a company submits to the appropriate Registrar of Companies in India,—

(i) documents relating to copies of latest consolidated financial statements of the parent foreign company, as submitted by it to the prescribed authority in the country of its incorporation under the provisions of the law for the time being in force in that country:

Provided that where such documents are not in English language, there shall be annexed to it a certified translation thereof in the English language.

(ii) in respect of its Indian Business operations, a statement of receipts and payments for the financial year, duly authenticated by a practicing Chartered Accountant in India or a firm or a Limited Liability Partnership of practicing Chartered Accountants in India.

(iii) the documents required to be filed with Registrar of Companies under sub-rule (2) of rule 4 of the Companies (Registration of Foreign Companies) Rules, 2014.

2. Notwithstanding anything contained in the above paragraphs, the company shall, if so required by notice in writing from the Central Government, furnish to the Central Government such information with regard to its accounts as the Central Government may require.

3. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/23/2013-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.